के भूमि ख.नं. 49,53,52 की खातेदारी भागीरथ पुत्र सुखा के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि पैत्रिक भूमि है तथा वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 सगे भाई है लेकिन राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम दर्ज होने से रहगया। जबकि वादी स्व. रामसुख का जायजा पुत्र है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उसका उक्त वर्णित भूमि में जन्म से ही हक हिस्सा बनता है। प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार प्रतिवादी को वादी का वाद पत्र डिक्री किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वाद पत्र प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री इस आशय की दी जाती है कि ग्राम बजावा की सरहद में स्थित भूमि ख.न. 49,52,53 में हिस्सा 1/2 का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष भूमि प्रतिवादी नं. 1 के नाम यथावत रहेगी। डिक्री पर्चा जारी हो। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.5.18 को कैम्प कोर्ट बजावा में सुनाया गया। /sd/

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुं...)

Scanned by CamScanner